।। कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी(म.प्र.)।।

।। संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना ।।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि,तहसील पिछोर में नवनिर्मित नवीन न्यायालय भवन पिछोर स्थित मीटिंग हॉल एवं कम्प्युटर सर्वररूम में वातानुकूलित संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु **फाईव स्टार स्पलीट वातानुकूलित संयत्र 1.5 टन के 03नग** मय स्टेपलाइजर, स्टेण्ड व इन्सटॉलेशन चार्ज सहित सक्षम फर्म से भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम–2015 की कंडिका–11 अनुसार दिनांक 24.06.2017 तक पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत उपस्थित होकर निविदा आमंत्रित की गई थी।

उक्त निविदा आमंत्रण की तिथि में संशोधन किया जाकर दिनांक 09.07.2017 तक बढाई जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता **दिनांक 09.07.17** के **सांयकाल 5.00बजे** तक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी में निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं।

शर्ते :–

1. फर्म वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
2. निविदा में सभी प्रकार के करों व क्रय मूल्य का खुलाशा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से किया जावेगा।
3. क्रय की गई सामग्री का परिदान कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी में किया जावेगा।
4. एक से अधिक फर्म/विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें समान होने की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/विक्रेता की साख/कार्य गुणवत्ता वांरटी आदि को ध्यान में रखकर सर्वोत्तम साख/कार्य गुणवत्ता वाली फर्म की निविदा स्वीकार की जा सकेगी। इस हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
5. निविदा की शर्ते अथवा क्रय की गई सामग्री सप्लाई करने आदि में किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में लिए एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
6. वातानुकूलित संयत्र इन्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
7. क्रय /सप्लाई/कार्य आदेश किसी भी समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवुपरी द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा इसके लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
8. वातनुकूलित संयत्र क्रय किये जाने की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती हैं।
9. क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंद सामग्री की प्रदायगी व इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्रय की जाने बाली सामग्री का क्रय आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
10. क्रय की जाने बाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने का प्रतिवेदन प्रापत होने पर देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। अन्यथा क्रय की गई ामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।

18. निविदा आमंत्रण की शर्तों में विसंगति पाये जाने अथवा किसी भी विवादित स्थिति का निराकरण मध्य प्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी,म.प्र.